झारखण्ड सरकार

नगर विकास एवं आवास विभाग

संकल्प

विषय :– स्मार्ट सिटी योजना के क्रियान्वयन हेतु HEC प्रक्षेत्र के 656.30 एकड़ भूखण्ड की परिधि को Pillaring कर रेखांकित करने का कार्य मनोनयन के आधार पर M/s. HEC Ltd. को 25.82 लाख (पच्चीस लाख बेरासी हजार) रू० लागत राशि पर आवंटित करने हेतु प्रशासनिक स्वीकृति के संबंध में।

1. शहरी विकास मंत्रालय, भारत सरकार सरकार की महत्वकांक्षी योजना स्मार्ट सिटी मिशन के अंतर्गत झारखण्ड राज्य में राँची शहर का चयन किया गया है।
2. शहरी विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा स्वीकृत किए गए राँची स्मार्ट सिटी प्रस्ताव के अंतर्गत M/s. HEC Ltd. प्रक्षेत्र में चिन्हित भूखण्ड पर Green Field Development किया जाना प्रस्तावित है।
3. उक्त के प्रयोजनार्थ M/s. HEC Ltd. प्रक्षेत्र के 656.30 एकड़ भूखण्ड को चिन्हित किया गया है। यह भूखण्ड HEC Revival Package के अंतर्गत कर्णांकित किये गये 675.43 एकड़ भूखण्ड का हिस्सा है।
4. उद्योग, खान एवं भूतत्व विभाग, झारखण्ड, राँची के संकल्प संख्या–944, दिनांक–19.03.2016 के द्वारा M/s. HEC Ltd. के आधुनिकीकरण हेतु Revival Package के अंतर्गत कर्णांकित 675.43 एकड़ भूमि के विरूद्ध M/s. HEC Ltd. को 1.10 करोड़ प्रति एकड़ की दर से भुगतान किये जाने की स्वीकृति प्रदान की गई है।
5. राज्य सरकार द्वारा स्मार्ट सिटी परियोजना का क्रियान्वयन करने हेतु 'राँची स्मार्ट सिटी कॉरपोरेशन लिमिटेड' नामक SPV का गठन किया गया है।
6. M/s. HEC Ltd. प्रक्षेत्र के 656.30 एकड़ भूखण्ड पर Greenfield Project के क्रियान्वयन हेतु Master Plan तैयार किया गया है, जिसके आधार पर परियोजना का कार्य प्रारंभ होगा।
7. स्मार्ट सिटी परियोजना हेतु चिन्हित 656.30 एकड़ प्रक्षेत्र M/s. HEC Ltd. द्वारा राज्य सरकार को हस्तांतरित किया जाना है। इस हेतु चिन्हित भूखण्ड की परिधि को Pillaring कर रेखांकित (Demarcation) किया जाना आवश्यक है।
8. इस कार्य हेतु M/s. HEC Ltd. द्वारा पत्र के माध्यम से यह अवगत कराया गया है कि स्मार्ट सिटी परियोजना हेतु चिन्हित भूखण्ड की परिधि को Pillaring कर रेखांकित कार्य पर होने वाले खर्च का वहन राज्य सरकार को करना होगा।
9. भूखण्ड के Pillaring कार्य को सुगमतापूर्वक क्रियान्वित कर रेखांकन करने का कार्य M/s. HEC Ltd. के द्वारा किया जाएगा, जिससे चिन्हित भूखण्ड की वास्तविक परिधि को रेखांकित करना सुनिश्चित किया जा सके।
10. भूमि के रेखांकन हेतु राँची जिला प्रशासन के तरफ से एक अमीन की प्रतिनियुक्ति की जाएगी जो उक्त कार्य के समाप्ति तक प्रभावी होगा।
11. भूखण्ड को रेखांकित करने हेतु M/s. HEC Ltd. से प्राप्त प्रस्ताव को तकनीकी कोषांग, नगर विकास एवं आवास विभाग द्वारा तकनीकी परीक्षण किया गया है एवं इसकी प्राक्कलित राशि 25.82 लाख (पच्चीस लाख बेरासी हजार) रू० को तकनीकी स्वीकृति प्राप्त है।

12. M/s. HEC Ltd. के द्वारा उक्त कार्य के विरुद्ध राँची स्मार्ट सिटी कॉरपोरेशन लिमिटेड (RSCCL) को विपत्र समर्पित किया जायेगा, जिसका भुगतान RSCCL के द्वारा स्मार्ट सिटी मिशन हेतु उपलब्ध राशि से किया जाएगा।

13. उपरोक्त परिप्रेक्ष्य में झारखण्ड वित्त नियमावली के नियम 235 के प्रावधानों को शिथिल करते हुए नियम 245 के तहत कार्यहित को ध्यान में रखते हुए स्मार्ट सिटी क्षेत्र के परिधि को Pillaring कर रेखांकन कार्य को 25.82 लाख (पच्चीस लाख बेरासी हजार) रू० की लागत पर मनोनयन के आधार पर M/s. HEC Ltd. को आवंटित करने पर स्वीकृति दी जाती है।

14. उक्त राशि का भुगतान RSCCL के अंतर्गत संधारित बैंक खाते में रक्षित राशि से किया जाएगा।

15. भविष्य में M/s. HEC Ltd. प्रक्षेत्र के अंतर्गत राज्य सरकार द्वारा क्रय किये जाने वाले भूखण्डों के Pillaring कर रेखांकित (Demarcation) करने का कार्य भी M/s. HEC Ltd. के माध्यम से कराया जाएगा।

16. उपर्युक्त प्रस्ताव पर राज्य मंत्रिपरिषद् की बैठक दिनांक 05.09.2017 में मद संख्या 14 के रूप में स्वीकृति प्राप्त है।

आदेश : आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को झारखण्ड राज्य के असाधारण राज्य पत्र में प्रकाशित किया जाए।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

12.9.17

(अरुण कुमार सिंह)
सरकार के प्रधान सचिव।

ज्ञापांक– SUDA/SCM/Pillaring-18/2017.......5929 राँची, दिनांक–13/09/17

प्रतिलिपि–अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, डोरण्डा, राँची को सूचनार्थ एवं राजकीय गजट के आगामी असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित/नोडल पदाधिकारी, ई–गजट, नगर विकास एवं आवास विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

12.9.17

सरकार के प्रधान सचिव।

ज्ञापांक– SUDA/SCM/Pillaring-18/2017.......5929 राँची, दिनांक–13/09/17

प्रतिलिपि– माननीय मुख्यमंत्री, झारखण्ड के प्रधान सचिव/माननीय विभागीय मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग के आप्त सचिव/मुख्य सचिव के विशेष कार्य पदाधिकारी/सभी अपर मुख्य सचिव/सभी प्रधान सचिव/सभी सचिव/अध्यक्ष–सह–प्रबंध निदेशक, भारी अभियंत्रण निगम लि०, राँची/निदेशक, नगरीय प्रशासन निदेशालय/निदेशक, राज्य शहरी विकास अभिकरण, नगर विकास एवं आवास विभाग/आन्तरिक वित्तीय सलाहकार, नगर विकास एवं आवास विभाग/उपायुक्त, राँची/नगर आयुक्त, राँची नगर निगम/मुख्य वित्त पदाधिकारी, राँची स्मार्ट सिटी कॉरपोरेशन लिमिटेड/श्री कुणाल कुमार, विभागीय वेब मैनेजर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

12.9.17

सरकार के प्रधान सचिव।